GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)

No. 2013/H/5/1 (Policy). **New Delhi, Dated:13.08.2014.**

General Managers,
All Indian Railways including PUs & RDSO.

Sub:- Advance Correction Slip to para 524 (ii) of IRMM, 2000.

The need to specify conditions for keeping employees on sick list during the course of PME and treatment of period thereof in cases where the employee is a case of diabetes or hypertension or any other treatable condition and declaring him/her fit is likely to take more than 03 days time, has been under consideration of Ministry of Railways for sometime. After careful consideration in the matter, it has been decided to amend para 524 (ii) of IRMM, 2000 to provide that if a Railway doctor is of the view that the employee is a case of diabetes or hypertension or any other treatable condition and declaring him/her fit is likely to take more than 03 days time, the doctor will advise such employee to be kept on sick list till the employee is declared fit for duty. Further, the examining doctor should inform to the controlling authority at the place of positing of the employee concerned in writing to issue sick memo to the employee for the Authorised Medical Officer to keep him/her on sick list till his case is finally decided by the Medical Examiner. In such cases, for the period the employee is kept on sick list due to treatable medical condition, the period of sickness shall be debited to his/her own leave account. However, in other cases where medical examination could not be completed in three days due to reasons not attributable to health condition of the employee, the entire period required by the doctor to come to a conclusion of the PME should be treated as duty

Advance Correction Slip to 524 (ii) of IRMM, 2000 is accordingly enclosed herewith.

This has approval of Board (MS).

(R.S. Shukla)
Dy. Director /Health
Railway Board.

No. 2013/H/5/1 (Policy). **New Delhi, Dated: 13.08.2014.**

Copy to:- i) CMDs/CMOs, All Indian Railways including PUs & RDSO.
ii) CPOs, All Indian Railways including PUs & RDSO.

(R.S. Shukla)
Dy. Director /Health
Railway Board.

No. 2013/H/5/1 (Policy). **New Delhi, Dated:13.08.2014.**

Copy to:- i) PSO to Board (MS) for kind information of Board (MS).
ii) ENG(I), ENG(II), Security(E), Security(Spl), FE(Spl) Branches.

(R.S. Shukla)
Dy. Director /Health
Railway Board.

ACS No.

Correction Slip of Para 524, IRMM 2000.

Para 524 (ii), IRMM 2000 may be read as under:-

"Para 524 (ii), IRMM 2000 - Periodical medical examination of an employee should preferably be completed on the same day for employees in Aye-two and below medical categories and within two days in Aye-one medical category, but invariably within three days for employees of all medical categories. However, if a Railway doctor is of the view that the employee is a case of diabetes, hypertension or any other treatable condition and declaring him/her fit is likely to take more than three days' time, the doctor will advise such employee to be kept on sick list till the employee is declared fit for duty. The examining doctor should inform in writing the controlling authority at the place of posting of the employee concerned to issue sick memo to the employee for the Authorized Medical Officer to keep him/her on sick list till his case is finally decided by the Medical Examiner. In such cases, for the period the employee is kept on sick list due to treatable medical condition, the period of sickness shall be debited to his/her own leave account. However, in other cases where medical examination could not be completed in three days due to reasons not attributable to health condition of the employee, the entire period required by the doctor to come to a conclusion of the PME should be treated as duty. However, it will not include the time taken by the employee to procure spectacle or any wilful delay by the employee".

13/8

Copy to: FE(Spl)

No. 2013/H/5/1 (Policy). **New Delhi, Dated:-13.08.2014.**

Copy to: -

1. Chief Medial Directors and CMOs/All Indian Railways (Including PUs & RDSO).
2. Computer facilitation Centre, Room No. 5, Near Gate No.1, Rail Bhawan.
3. Directors of CTIs, RSC/Baroda, IRICEN/Pune, IRIEEN/Nasik, IRISET, Secunderabd, IRIMEE/Jamalpur and IREITEM/Lucknow.
4. The Director General, Railway Staff College, Vadodara.
5. The managing Director, RITES, New Delhi House, 27, Barakhamba Road, New Delhi and (b) IRCON Palika Bhawan, Sector XIII, R.K. Puram, New Delhi. (c) CRIS, Safdarjung Railway Station, Chankyapuri, New Delhi. (d) IRFC (e), CONCOR of India, Ltd., Konkan Railway Corpn. Ltd. Belapur Bhawan Sector-11, CBD Belapur, Navi Mumbai, NVNL, Plot No. 25, 1st Floor, August Kranti Bhawan, Bhikaji Cama Place, New Delhi-110066.
6. The General Secretary, IRCA/New Delhi.
7. The Secretary, Railway Board, Promotee Officers Association, Room No.341-C, Rail Bhawan, New Delhi.
 The Director (a) IRIEEN, Nasik, (b) IRCEN, Pune (c) IRIMEE, Lamalpur (d) IRISET, Secunderabad.
8. The Chairman, RCC, Lok Sabha Secretariat, New Delhi.
9. The Chairman, RRT, Chennai.
10. The Chairman, RCT.
11. The Chairman, RRB/Ajmer, Ahmedabad, Allahabad, Bangalore, Bhopal, Bhubaneswar, Chandigarh, Chennai, Kolkata, Jammu, Gorakhpur, Guwahati, Malda, Mumbai, Muzaffarpur, Patna, Ranchi, Secunderabad & Trivandrum.
12. The Director, CAMTECH/Gwalior.
13. The CAO (a) MTP(G)/Mumbai (b) MTP (G)/Chennai.
14. Office of the Chief Project Administrator (Telecom), Indian Railways Central Organisation for Telecom Consultancy, Shivaji Bridge, New Delhi.
15. Chief Mining Advisor, Ministry of Railway, Dhanbad.
16. The Director (Movement) Railways/Kolkata.

(R.S. Shukla)
Dy. Director /Health
Railway Board.

No. 2013/H/5/1 (Policy). **New Delhi, Dated:-13.08.2014.**

Copy to:-

1. The General Secretary, AIRF, Room No. 253, Rail Bhawan, New Delhi.
2. The General Secretary, NFIR, Room No. 256-E, Rail Bhawan, New Delhi.
3. All Members of Departmental Council and National Council and Secretary, Staff Side, National Council, 13-C, Feorzeshah Road, New Delhi.
4. The Secretary General, FROA & IRPOA, Room No.256-A & 268, Railway Board.
5. The General Secretary, All India RPF Association, Room No.256-D, Rail Bhawan, New Delhi.
6. The Secretary, RBSS Group 'A' Officers Association, Room No.402, Rail Bhawan, New Delhi.
7. The Secretary, RBSS Group 'B' Officers Association, Rail Bhawan, New Delhi.
8. The Secretary, RBMSA, Rail Bhawan, New Delhi.
9. The Secretary, Railway Board Group 'D' Employees Association, Rail Bhawan, New Delhi.
10. The Secretary, Railway Board Promote Officers Association, Room No. 341-C, Rail Bhawan, New Delhi.
11. Chief Commissioner of Railway Safety, Lucknow.
12. Advisor (Safety), Railway Board, New Delhi.
13. The General Secretary, All India SC/ST Railway Employees Association , Room No.8, Ground Floor, Rail Bhawan, New Delhi.
14. General Secretary, Retired Railway Employees Welfare Association (Regd.), 490A/16, Gurudwara Road, Gurgaon.

For Secretary/Rly Bd.

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
रेलवे बोर्ड

सं. 2013/एच./5/1 (पॉलिसी) **नई दिल्ली, दिनांक 13.08.2014.**

महाप्रबंधक,
सभी भारतीय रेलें
अअमासं एवं उत्पादन इकाइयां

विषय: भारतीय रेल चिकित्सा नियमावली, 2000 के पैरा 524(ii) से संबंधित अग्रिम शुद्धि पर्ची

आवधिक चिकित्सा परीक्षा के दौरान कर्मचारियों को बीमारी की सूची में रखने की स्थितियों को विनिर्दिष्ट करने की आवश्यकता और कर्मचारी के शुगर अथवा उच्च रक्तचाप अथवा अन्य किसी उपचारयोग्य स्थिति में होने के मामले में यदि उसे फिट होने में 3 दिन से अधिक समय लगने की संभावना हो, के मामले में अवधि की गणना का विषय कुछ समय रेल मंत्रालय में विचाराधीन है. मामले पर सावधानी पूर्वक विचार करने के बाद, यह निर्णय लिया गया है कि भारतीय रेलवे चिकित्सा नियमावली, 2000 के पैरा 524(ii) में यह व्यवस्था करने के लिए संशोधन किया जाए कि यदि डॉक्टर की राय हो कि कर्मचारी को शुगर अथवा उच्च रक्तचाप अथवा अन्य किसी उपचारयोग्य स्थिति में फिट घोषित होने में 3 दिन से अधिक समय लगने की संभावना है, डॉक्टर ऐसे कर्मचारी को ड्युटी के लिए फिट घोषित होने तक बीमारों की सूची में रखने की सलाह देगा. इसके अलावा जॉच करने वाला डाक्टर संबंधित कर्मचारी के तैनाती स्थल पर उसके नियंत्रण प्राधिकारी को सूचित करेगा कि जब तक चिकित्सा परीक्षक द्वारा कर्मचारी मामले में अंतिम निर्णय न लिया जाए तब तक उसे प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी बीमारों की सूची में रखने के लिए लिखित में सिक मेमो जारी करें. ऐसे मामलों में, उपचारयोग्य चिकित्सा स्थिति के कारण कर्मचारी को सिक लिस्ट में रखी गई अवधि को उसके अपने छुट्टी खाते में से बीमारी की अवधि से डेबिट किया जाएगा. बहरहाल, अन्य मामलों में जिनमें चिकित्सा जांच कर्मचारी को स्वास्थ्य स्थिति के अलावा किन्हीं अन्य कारणों से तीन दिन में पूरी नहीं की जा

23/07

सकी, आवधिक चिकित्सा जांच के परिणाम तक पहुंचने में डॉक्टर द्वारा अपेक्षित संपूर्ण अवधि को अवधि को ड्यूटी के रूप में माना जाएगा.

तद्नुसार भारतीय रेल चिकित्सा नियमावली, 2000 के पैरा 524(ii) से संबंधित अग्रिम शुद्धि पर्ची संलग्न है.

इसे सदस्य कार्मिक का अनुमोदन प्राप्त है.

23/09

(आर.एस.शुक्ला)
उप निदेशक/ स्वास्थ्य
रेलवे बोर्ड.

सं. 2013/एच./5/1 (पॉलिसी) नई दिल्ली, दिनांक 13.08.2014.

प्रतिलिपि प्रेषित:

I. मुख्य चिकित्सा निदेशक/मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सभी भारतीय रेलें, उत्पादन इकाइयों एवं अअमासं सहित

II. मुख्य कार्मिक अधिकारी, सभी भारतीय रेलें, उत्पादन इकाइयां एवं अअमासं सहित.

23/09

(आर.एस.शुक्ला)
उप निदेशक/ स्वास्थ्य
रेलवे बोर्ड.

सं. 2013/एच./5/1 (पॉलिसी) नई दिल्ली, दिनांक 13.08.2014.

प्रतिलिपि प्रेषित:

i बोर्ड (सदस्य कार्मिक) की सूचना के लिए सदस्य कार्मिक का पीएसओ .

ii ईएनजी(I). ईएनजी(I I), सुरक्षा(स्था), सुरक्षा(वि.), वित्त व्यय(वि.) शाखा

23/09

(आर.एस.शुक्ला)
उप निदेशक/ स्वास्थ्य
रेलवे बोर्ड.

अग्रिम शुद्धि पर्ची सं.

भारतीय रेल **चिकित्सा नियमावली, 2000 के पैरा 524 के शुद्धि पर्ची**

पैरा 524 (ii), भारतीय रेल चिकित्सा नियमावली 2000 को निम्नानुसार पढ़ा जाए:-

''**पैरा 524 (ii), भारतीय रेल चिकित्सा नियमावली 2000** - ए-टू तथा नीचे की चिकित्सा कोटियों के कर्मचारियों की आवधिक चिकित्सा जांच उसी दिन तथा ए-वन चिकित्सा कोटि की जांच मुख्यत: दो दिन में पूरी हो जानी चाहिए, परन्तु सभी चिकित्सा कोटियों के कर्मचारियों की आवधिक चिकित्सा जांच निरपवाद रूप से तीन दिन में पूरी हो जानी चाहिए. बहरहाल, यदि रेलवे डॉक्टर की दृष्टि में कर्मचारी का शुगर अथवा उच्च रक्तचाप अथवा अन्य कोई उपचारयोग्य स्थिति का मामले हो तथा उसे फिट घोषित करने में 3 दिन से अधिक समय लगने की संभावना हो तो, डॉक्टर ऐसे कर्मचारी को ड्युटी के लिए फिट घोषित किए जाने तक बीमारों की सूची में रखने की सलाह देगा. जांच करने वाला डाक्टर संबंधित कर्मचारी की तैनाती के स्थान पर नियंत्रण प्राधिकारी को लिखित में सूचित करेगा कि चिकितसा परीक्षक द्वारा उसके मामले में अंतिम रूप दिए जाने तक उसे बीमारों की सूची में रखने के लिए प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी के लिए कर्मचारी को सिक मेमो जारी किया जाए. ऐसे मामलों में, उपचारयोग्य चिकित्सा स्थिति के कर्मचारी को बीमारों की सूची में रखी गई अवधि के लिए, बीमारी की अवधि को उसके अपने छुट्टी खाता में से डेबिट किया जाएगा. बहरहाल, जहां कर्मचारी के स्वास्थ्य के अलावा किन्ही अन्य कारण से चिकित्सा जांच तीन दिनों में पूरी नहीं हो पाती, डॉक्टर द्वारा आवधिक चिकित्सा जांच के निष्कर्ष तक आने की तक संपूर्ण अवधि को ड्यूटी के रूप में माना जाएगा. बहरहाल इसमें चश्मा खरीदने या कर्मचारी द्वारा जानबूझकर की गई देरी में लगा समय शामिल नहीं होगा."

सं. 2013/एच./5/1 (पॉलिसी) नई दिल्ली, दिनांक 13.08.2014.

प्रतिलिपि:-

1. मुख्य चिकित्सा निदेशक तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सभी भारतीय रेलें (उत्पादन इकाइयों एवं अअमास सहित)
2. कम्प्यूटर सुविधा केंद्र, कमरा सं.5 नियर गेट सं.1, रेल भवन.
3. सीटीआई के निदेशक, आरएससी/बड़ोदा, इरिसेन/पुणे, इरिएन/ नासिक, इरिसेट/सिकंदराबाद, इरिमी/जमालपुर तथा इरिटेम लखनऊ.
4. महानिदेशक, रेलवे स्टाफ कालेज, वड़ोदरा.
5. प्रबंध निदेशक, राइटस, नई दिल्ली, 27, बाराखंभा रोड, नई दिल्ली (ख) इरकॉन पालिका भवन, सेक्टर XIII, आर के पुरम, नई दिल्ली (ग) सीआरआईएस, सफदरजंग रेलवे स्टेशन, चाणक्यापुरी, नई दिल्ली (घ) आईआरएफसी (इ) कॉनकॉर इंडिया लिमिटेड, कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लि., बेलापुर भवन सेक्टर-11,सीबीडी बेलापुर, नवी मुंबई, एनवीएनएल,प्लॉट सं. 25, प्रथम तल, अगस्त क्रांति भवन, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066.
6. महासचिव, आईआरसीए/ नई दिल्ली .
7. सचिव, रेलवे बोर्ड, प्रोमोटी ऑफिसर्स एसोसिएशन, कमरा सं. 341-सी, रेल भवन, नई दिल्ली.
8. अध्यक्ष, आरसीसी, लोकसभा सचिवालय, नई दिल्ली.
9. अध्यक्ष, आरआरटी, चेन्नै.
10. अध्यक्ष, आरसीटी.
11. अध्यक्ष, रेलवे भर्ती बोर्ड/अजमेर, अहमदाबाद, बैंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडिगढ, चेन्नै, कोलकाता, जम्मू, गोरखपुर, ,गुवाहाटी, मालदा, मुंबई, मुज्जफरपुर, पटना, रांची, सिकंदराबाद, एवं त्रिवेन्द्रम.
12. निदेशक, केमटेक/ ग्वालियर.
13. मुख्य लेखाधिकारी, (क) एमटीपी(जी)/मुबई (ख) एमटीपी(जी)/चेन्नै.
14. मुख्य परियोजना प्रशासक(टेलिकॉम) का कार्यालय, टेलिकॉम कंसलटेंसी के लिए भारतीय रेलवे के केंद्रीय संस्थान, शिवाजी ब्रिज, नई दिल्ली.
15. मुख्य खान सलाहकार, रेल मंत्रालय, धनबाद.
16. निदेशक(संचलन) रेलवे/ कोलकाता.

(आर.एस. शुक्ला)
उप निदेशक/स्वाथ्य
रेलवे बोर्ड

उप निदेशक/स्वास्थ्य
रेलवे बोर्ड

सं. 2013/एच./5/1 (पॉलिसी) नई दिल्ली, दिनांक 13.08.2014.

प्रतिलिपि:-

1. महासचिव, एआईआरएफ, कमरा सं. 253, रेल भवन, नई दिल्ली.
2. महासचिव, एनएफआईआर, कमरा सं. 256-ई, रेल भवन, नई दिल्ली.
3. विभागीय परिषद तथा राष्ट्रीय परिषद के सभी सदस्य तथा सचिव कर्मचारी पक्ष, राष्ट्रीय परिषद,13-सी, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली.
4. महासचिव, एफआरओए एवं आईआरपीओए, कमरा सं. 256-ए एवं 268, रेलवे बोर्ड.
5. महासचिव, अखिल भारतीय रेसुब एसोसिएशन, कमरा सं. 256-डी, रेल भवन, नई दिल्ली.
6. सचिव, आरबीएसएस ग्रुप 'ए' ऑफिसर्स एसोसिएशन, कमरा सं.402, रेल भवन,नई दिल्ली.
7. सचिव, आरबीएसएस ग्रुप 'बी' ऑफिसर्स एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली.
8. सचिव, आरबीएमएसए, रेल भवन, नई दिल्ली.
9. सचिव, रेलवे बोर्ड ग्रुप 'डी' कमचारी संघ, रेल भवन, नई दिल्ली.
10. सचिव, रेलवे बोर्ड, प्रोमोटी ऑफिसर्स एसोसिएशन, कमरा सं. 341-सी, रेल भवन, नई दिल्ली.
11. आयुक्त रेलवे संरक्षा, लखनऊ.
12. सलाहकार (संरक्षा), रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली.
13. महासचिव, अखिल भारतीय अजा/अजजा रेलवे इंप्लाइज एसोसिएशन, कमरा सं.8, भूतल, रेल भवन, नई दिल्ली.
14. महासचिव, रिटायर्ड रेलवे इंप्लाइज वेलफेयर एसोसिएशन (पंजिकृत), 490ए/16, गुरूद्वारा रोड, गुड़गांव.

कृते सचिव
रेलवे बोर्ड